# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़

(पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोदकुमार सिंघव आर.ए.एस.)

मिसल न0 890/दावा/2016
(पूर्व मि0न0 601/2012)
दायरा 09.08.2012

उनवान

माफी मंदिर श्री गणेश जी विराजमान (अवयस्क) पोटूखेडी जर्ये पुजारी श्री मांगीलाल पुत्र गोपाल जाति ब्राम्हण निवासी बैसार तह0 खानपुर

– वादीगण

बनाम्

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील खानपुर

– प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91आर.टी.एक्ट 1955, धारा 9 राज0 भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 व धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:– श्री लक्ष्मणसिंह चौहान एडवोकेट –वादी
पेराकार सरकार

## निर्णय

दिनांक 7/08/2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने जर्ये अधिवक्ता एक वाद धारा 88, 89, 90, 91 आर.टी.एक्ट 1955, धारा 9 राज0 भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 व धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम पोटूखेडी के माल की जमाबंदी सं0 2041–44 की खतौनी सं0 79 की ख0नं0 59 की 06.05 बीघा आराजी स्थित है जो माफी मंदिर श्री गणेश जी विराजमान गांव के खाते दर्ज है। वादीगण आराजी पर काश्तकार हैं तथा वादीगण के पूर्वजों के नाम पुजारी के रूप में खाते में दर्ज हैं। मंदिर मूर्ति श्री गणेश जी की सेवा पूजा वादी के पूर्वज ही करते थे और वर्तमान में वादी ही मंदिर मूर्ति की सेवा पूजा करता आ रहा है। सं0 2006–2009 की जमाबंदी में यह मंदिर माफी श्री गणेश जी विराजमान गांव व कब्जा खातेदार पुजारी गोपाल बेटा पन्ना जाति ब्राम्हण निवासी बैसार के खाते दर्ज है एवं सं0 2018–2021 में भी यही अंकन दर्ज था। वादी मंदिर मूर्ति की सेवा पूजा करता आ रहा है। वादग्रस्त आराजी में वादीगण के पूर्वजों का नाम पुजारी के रूप में खाते में दर्ज रहा है। वादीगण के पूर्वजों का नाम विरासत के रूप में पीढी दर पीढी दर्ज होता चला आ रहा है किन्तु राजस्व विभाग ने परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के अनुसरण में बिना किसी अधिकारिता के व बिना न्यायालय के आदेश के वादीगणके पूर्वजों का नाम उक्त राज्यादेश की आड में विलोपित कर दिया, वादीगण के पूर्वज आराजी पर काश्त करते चले आ रहे हैं और मंदिर की सेवा पूजा करते आ रहे हैं व वर्तमान में वादी मंदिर मूर्ति मुरलीमनोहर जी की सेवा पूजा करते आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजी के संबंध में राजस्थान सरकार ग्रुप 6 परिपत्र कमांक 3(2) राजस्थान/6/2007/14 दि0 24.05.2007 में जारी परिपत्र के पेरा नं0 5 में अंकित है कि जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि नाम से दर्ज थी उनमें उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त हैं। ऐसी भूमियों को पुनः मंदिरों के नाम दर्ज किया जाना विधि सम्मत नहीं है। राजस्व रेकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने भी दिनांक 24.05.2007



उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

के परिपत्र की समुचित पालना के सन्दर्भ में कमांक राज/4-63/न्याय/स्था/05/636-689 दि0 6.01.2010 जारी किया है जिसमें भूमि पर पुनः पुजारी के खाते में दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये है। राजस्थान सरकार राजस्व विभाग ग्रुप 6 परिपत्र कमांक प.2(4)राज/4/90/37 दि0 13.12.1991 जो देव मंदिर मूर्ति की खातेदारी मे दर्ज पुजारी एवं सेवारतों के संबंध मे था। उक्त परिपत्र में काश्तकारी अधिकार रेकार्ड ऑफ टीनेट राईट्स को किसी भी रूप में प्रमाणित नहीं करता किन्तु राजस्व विभाग ने बिना तथ्यों की जांच किये, परीक्षण किये वादीगण के पूर्वजों का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया है। इस कारण वादी अपने नाम अभिलेख जमाबंदी रेकार्ड ऑफ राईट्स अपना नाम बतौर खातेदार दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। ऐसे भूमि के संबंध में जो मंदिर माफी की थी के संबंध में राज. भूमि सुधार तथा जागीर पुनःग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 में प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रेकार्ड में पट्टेदार, खादिमदार या अन्य किसी नाम दर्ज थे निरन्तर खातेदार बने रहेंगे। भूप्रबन्ध एवं समय समय पर राजस्व रेकार्ड संधारण में रही त्रुटियों के कारण उक्त आराजी से वादी के पूर्वजों का नाम हटाकर मंदिर का नाम दर्ज किया गया है जो विधि सम्मत नही है एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत है। वादी के पास इसके अलावा अन्य कोई भूमि खातेदारी में दर्ज नहीं है जिससे वादी भूमिहीन व बेसहाय हो गये हैं। हमने प्रतिवादी को धारा 80 सी.पी.का नोटिस भी दिया है किन्तु इनके व्दारा कोई सुनवाई नहीं की गई है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ इस आशय की डिकी फरमायी जावे कि ग्राम पोटूखेड़ी के माल की जमाबंदी सं0 2041-44 की खतौनी सं0 79 की ख0नं0 59 की 06.05 बीघा आराजी में रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर मंदिर मूर्ति श्री गणेश जी विराजमान के साथ वादी को भी पुजारी खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार खानपुर के नाम फरमाने की डिकी जारी की जावे तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे अता फरमायी जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाबदावा पेश कर वादी के वाद को अस्वीकार किया। वादी के वाद एवं प्रतिवादी के जवाबदावा के अनुसार विवादित बिन्दूओं पर तनकीयात कायम की गई। अधिवक्ता वादी ने अपने वाद के समर्थन में मांगीलाल ब्राम्हण, दीपक के बयान दर्ज कराये तथा दस्तावेज Exp1 लगायत Exp5 प्रदर्श कराये। पेरोकार सरकार ने पर्याप्त अवसर के बाद भी अपनी ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं किया तथा दिनांक 07.08.2019 को सीधे ही बहस करने का अनुरोध करने पर अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने दोराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया ग्राम पोटूखेडी के माल की जमाबंदी सं0 2041-44 की खतौनी सं0 79 की ख0नं0 59 की 06.05 बीघा आराजी स्थित है जो माफी मंदिर श्री गणेश जी विराजमान गांव खातेदार के खाते दर्ज है। मंदिर मूर्ति श्री गणेश जी की सेवा पूजा वादीगण के पूर्वज ही करते थे और हमारे पूर्वजों का वादग्रस्त आराजी में पुजारी के रूप में खाते में नाम दर्ज था तथा पीढी दर पीढी विरासत बतौर मंदिर की सेवा पूजा एवं आराजी पर खातेदार कृषक के रूप में काबिज काश्त चले आ रहे हैं। राजस्व विभाग ने बिना किसी अधिकारिता के व बिना न्यायालय के आदेश के वादी का नाम राज्यादेश की आड़ में विलोपित कर दिया, जबकि वादी के पूर्वज आराजी पर काश्त करते चले आ रहे हैं और मंदिर की सेवा पूजा करते आ रहे हैं व वर्तमान में वादीगण मंदिर मूर्ति श्री गणेश जी विराजमान की सेवा पूजा कर रहे है। इस संबंध में राजस्थान सरकार ग्रुप 6 परिपत्र कमांक 3(2) राजस्थान/6/2007/14 दि0 24.05.2007 में जारी परिपत्र के पेरा नं0 5 में अंकित है कि जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यवित के नाम खातेदार पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि नाम से दर्ज थी उनमें उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त हैं। ऐसी भूमियों को पुनः मंदिरों के नाम दर्ज किया जाना विधि सम्मत नहीं है। राजस्व रेकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने भी दिनांक 24.05.2007 के परिपत्र की समुचित पालना के सन्दर्भ में कमांक राज/4-63/न्याय/स्था/05/636-689 दि0 6.01.2010 जारी किया है जिसमें भूमि पर पुनः पुजारी के खाते में दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये है। राजस्थान सरकार राजस्व विभाग ग्रुप



उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

6 परिपत्र क्रमांक प.2(4)राज/4/90/37 दि0 13.12.1991 जो देव मंदिर मूर्ति की खातेदारी में दर्ज पुजारी एवं सेवारतों के संबंध में था। उक्त परिपत्र में काश्तकारी अधिकार रेकार्ड ऑफ टीनेट राईट्स को किसी भी रूप में प्रमाणित नहीं करता किन्तु राजस्व विभाग ने बिना तथ्यों की जांच किये, परीक्षण किये वादीगण के पूर्वजों का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया है। ऐसी भूमि के संबंध में जो मंदिर माफी की थी के संबंध मे राज. भूमि सुधार तथा जागीर पुनःग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 में प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रेकार्ड में पट्टेदार, खादिमदार या अन्य किसी नाम दर्ज थे निरन्तर खातेदार बने रहेंगे। भूप्रबन्ध एवं समय समय पर राजस्व रेकार्ड संधारण में रही त्रुटियों के कारण उक्त आराजी से वादीगण का नाम हटाकर मंदिर का नाम दर्ज किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत है। हमने अपने वाद को पुराने राजस्व रेकार्ड एवं गवाहान के बयान कराकर साबित कराया है। अतः हमारा दावा डिक्री किया जाकर ग्राम पोंदूखेडी के माल की जमाबंदी सं0 2041—44 की खतौनी सं0 79 की ख0नं0 59 की 06.05 बीघा आराजी में रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर मंदिर मूर्ति श्री गणेश जी विराजमान के साथ वादीगण को रेकार्ड में पुजारी दर्ज किया जाये।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में प्रकट किया कि हमारा जवाब ही बहस है। वादी स्वंय अपने वाद को साबित करें।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। वादीगण ग्राम पोदूखेडी के माल की जमाबंदी सं0 2041—44 की खतौनी सं0 79 की ख0नं0 59 की 06.05 बीघा आराजी स्थित है जो माफी मंदिर श्री गणेश जी के खाते दर्ज है। वादी ने परिपत्र राजस्थान सरकार ग्रुप 6 परिपत्र क्रमांक 3(2) राजस्थान/6/2007/14 दि0 24.05.2007, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के परिपत्र दिनांक 24.05.2007, क्रमांक राज/4—63/न्याय/स्था/05/ 636—689 दि0 6.01.2010 व राजस्थान सरकार राजस्व विभाग ग्रुप 6 परिपत्र क्रमांक प.2(4)राज/4 /90/37 दि0 13.12.1991, राजस्व (ग्रुप—6) विभाग के परिपत्र क्रमांक 3(2)राज—6/07/19 दि0 25.11.11 के आधार पर जमाबंदी में मूर्ति मंदिर श्री गणेश जी के साथ साथ पुजारी का नाम दर्ज करने का यह वाद पेश किया है। इन सभी परिपत्रों में कही भी यह उल्लेख नहीं है कि मूर्ति मंदिर के खाते की आराजियात में मूर्ति के साथ—साथ पुजारी का नाम अंकित किया जावे। यहां हम पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दलीलों से सहमत हैं। चूंकि मूर्ति शासवत नाबालिग है तथा नाबालिग के हितों की सुरक्षा किये जाने का दायित्व न्यायालय का भी है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी अपने वाद को साबित करने में विफल रहा है। ऐसे में वादी का वाद खारिज होने योग्य है।

अतः वाद, वादी साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 7/08/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)



Scanned by CamScanner